91

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 564-तीन/2008 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 6-2-2007- पारित व्दारा आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्र0क्र0 64/2007-08 निगरानी

1- महिला जोखनी पत्नि विशेषर चर्मकार
2- दुर्गा पुत्री स्व. उग्रसेन चर्मकार
3- बाबूलाल 4- चन्द्रभान पुत्रगण विशेषर चर्मकार
5- जवाहर लाल 6- कमलेश
पुत्रगण रामकिशोर चर्मकार
सभी ग्राम बुइवा तहसील सिरमौर जिला रीवा

विरूद्ध

1- छोटेलाल पुत्र रामशिरोमण चर्मकार
2- महेश 3- यज्ञसेन 4- विश्वनाथ
पुत्रगण राशिरमण
5- शालिक पुत्र रामसुन्दर चर्मकार
6- शालिग 7- शिवलाल 8- रामस्वरूप
पुत्रगण रामकुमार चर्मकार
सभी ग्राम बुइवा तहसील सिरमौर जिला रीवा ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित - एकपक्षीय)

आ दे श
(आज दिनांक 17-07-2018 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 64/2007-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 6-2-07 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण की ओर से नायव तहसीलदार वृत्त गंगेव तहसील सिरमौर जिला रीवा के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 178/110 के अंतर्गत आवेदन देकर ग्राम बुड़वा की भूमि खसरा नंबर 300 का बटवारा/नामान्तरण की मांग की गई। नायव तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 69 अ-27/2001-02 पॅजीबद्ध किया तथा अनावेदकगण के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने पर आवेदकों को सुनकर आदेश दिनांक 30-9-2002 पारित किया तथा दोनों पक्षों के बीच भूमि का बटवारा कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण ने अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर रीवा ने प्रकरण क्रमांक 483/अ-27 /2005-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25-9-2007 से निगरानी स्वीकार कर नायव तहसीलदार वृत्त गंगेव तहसील सिरमौर जिला रीवा का आदेश दिनांक 30-9-2002 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। आयुक्त, रीवा संभाग रीवा ने प्र0क0 64/2007-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 6-2-07 से निगरानी निरस्त कर दी। आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्क दिया कि नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 30-9-02 अपील योग्य है जिसके विरूद्ध अपर कलेक्टर रीवा ने गलत आधारों पर पुनरीक्षण सुना है।

जगन्नाथ विरूद्ध गुरू रामसागर दास 1991 रा0नि0 150 तथा सुकइया विरूद्ध रधेया 1990 रा.नि. 414 में बताया गया है कि नियमों के विपरीत विहित प्रकिया का पालन किये बिना नामान्तरण आदेश शून्यकरणीय है ऐसा आदेश अपीलीय है तथापि पुनरीक्षण में हस्तक्षेप किया जा सकता है।

तत्समय संहिता की धारा 50 में दी गई व्यवस्था अनुसार कलेक्टर/अपर कलेक्टर को पुनरीक्षण सुनने की अधिकारिता रही है जिसके कारण आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा दिया गया यह तर्क माने जाने योग्य नहीं है।

5/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के अवलोकन से तथा आवेदक के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने से परिलक्षित है कि नायव तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 69 अ-27/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 30-9-2002 पर अपर कलेक्टर रीवा ने आदेश दिनांक 25-9-07 में निम्नानुसार विश्लेषण किया है :-

अधीनस्थ न्यायालय के मूल प्रकरण का अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि गैर निगरानीकर्तागणों की ओर से प्रश्नाधीन भूमि क्रमांक 300/7 रकबा 0.53 ए. स्थित ग्राम बुडवा के बटवारा नामान्तरण हेतु संहिता की धारा 178/109/110 सहपठित धारा 32 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि क. 300 रकबा 0.53 ए. का बटवारा नामान्तरण जोखनी , उग्रसेन, बाबूलाल, चन्द्रभान साकेत के नाम तथा 0.17 डि. एंव बटवारा नामान्तरण स्वीकृत किया गया। गैर निगरानीकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में मात्र 0.53 ए. का बटवारा नामान्तरण चाहा गया था लेकिन आलोच्य आदेश के अवलोकन से प्रमाणित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रकबा 0.53 ए. के अतिरिक्त रकबे का भी बटवारा नामान्तरण कर दिया गया है। प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि निगरानीकर्ता को अधीनस्थ न्यायालय में न तो पक्षकारा बनाया गया और न ही कोई सूचना दी गई। इस प्रकार स्वीकृत बटवारा नामान्तरण विधि विरुद्ध है।

उपरोक्तानुसार विश्लेषण करते हुये अपर कलेक्टर रीवा ने नायव तहसीलदार वृत्त गंगेव तहसील सिरमौर जिला रीवा के आदेश दिनांक 30-9-2002 को निरस्त किया है और इन्हीं कारणें से आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्र0क0 64/2007-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 6-2-07 में अपर कलेक्टर के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्र0क0 64/2007-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 6-2-07 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर